



भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस)

वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों के आमंत्रित किया जाना - बारहवां बैच #

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) पेस योजना के तहत नवीन उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन के लिए वाणिज्यीकरण लायक, संकल्पना के साक्ष अथवा प्रयोगशाला स्तर से पायलट स्तर तक के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु **पंजीकृत भारतीय कंपनियों/ फर्मों/ लघु तथा मध्यम उद्यमों, पीएफआरआई (सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थाओं) इत्यादि** से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और <https://dsir.gov.in/patent-acquisition-and-collaborative-research-and-technology-development-pace> पर पेस दिशानिर्देश का अवलोकन करें।

पेस स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

- उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन (अकेले या अनुसंधान और विकास संगठनों / अकादमिक संस्थानों / विश्वविद्यालयों के सहयोग से)।
- भारतीय उद्योग को ऋण और सहयोगात्मक परियोजना के मामले में अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय को अनुदान। सहयोगात्मक परियोजना के मामले में संस्था को अनुदान ऋण के साथ समवर्ती होगा और यह कंपनी को ऋण के रूप में स्वीकृत राशि से अधिक नहीं होगा। ऋण को एक बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा जो ऋण की राशि से तैतीस और एक तिहाई प्रतिशत अधिक होगा।
- यह योजना किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावों का समर्थन करेगी* जिससे औद्योगिक रूप से उपयोगी अनुप्रयोग होंगे। ऊर्जा दक्षता, कम लागत स्वचालन, आईओटी, एआर/वीआर आदि की दिशा में नवोन्मेषी परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।
- यह योजना उन प्रस्तावों का समर्थन करेगी जो संकल्पना के साक्ष के प्रमाण प्रस्तुत करती हो और एक अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। डीएसआईआर से मांगी गई कुल सहायता (उद्योग के लिए ऋण और सहयोगी भागीदार के लिए अनुदान) 3.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए विशेष विचार, जिसमें महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के नेतृत्व में शामिल हैं।

* विशुद्ध रूप से जैव प्रौद्योगिकी और एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रस्तावों के अलावा।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्रता:

- कंपनी को भारत में पंजीकृत किया जाना चाहिए और एक स्वस्थ वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड या एक आशाजनक वित्तीय स्वास्थ्य पूर्वानुमान होना चाहिए और ऋण के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की स्थिति में होना चाहिए।
- कंपनी के कम से कम 51% शेयर एनआरआई सहित भारतीय नागरिकों के पास होने चाहिए।
- उद्योग के पास आईपी स्वामित्व होना चाहिए, इसके द्वारा अधिग्रहित या विकसित (पेटेंट या गैर-पेटेंट), जिसका उपयोग प्रस्तावित परियोजना में मूल्य वर्धन या अप-स्केलिंग के लिए किया जाएगा।
- उद्योग में अधिमानतः एक डीएसआईआर मान्यता प्राप्त इन-हाउस आर एंड डी इकाई होनी चाहिए।
- उद्योग को सबूत प्रदान करने की स्थिति में होना चाहिए कि यह परियोजना में धन का अपना हिस्सा बढ़ाने में सक्षम होगा।
- सहयोगी भागीदार, यदि लागू हो, तो भारतीय सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मानदंडों में से एक यह होना चाहिए कि संस्थान के आवर्ती खर्चों का कम से कम 50% सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

आवेदन जमा करने के लिए दिशा-निर्देश

निर्धारित दिशानिर्देश और आवेदन प्रारूप www.dsir.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को प्रस्ताव की विधिवत हस्ताक्षरित पांच हार्ड प्रतियां एवं एक सॉफ्ट कॉपी [एमएस वर्ड फाइल, न कि पीडीएफ फाइल] ईमेल के माध्यम से और पेन ड्राइव को संलग्न करके **"गोपनीय, पेस प्रोजेक्ट"** आधिलिखित लिफाफे **डॉ. विपिन चंद्र शुक्ला, प्रमुख (पेस), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली-110 016** ईमेल: vipin.shukla@nic.in में जमा करनी चाहिए।

15वें वित्त आयोग की अवधि के बाद भी पेस स्कीम को जारी रखने के अनुमोदन के अध्यक्षीन।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

डॉ. एम.एस.शशि कुमार, वैज्ञानिक 'ई'
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली-110016

ईमेल: shashi.dsir@nic.in; फोन: 011-26510949/26590657

बारहवें बैच के लिए प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: 14 नवम्बर, 2025